सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: **NCST/ATY-3874/MH/782/2026-RO-BH/RU-I**

दिनांक: **27.05.2026**

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,
जिला-धुले,
कलेक्टर कार्यालय, नया प्रशाश्रिक भवन,
धुले-424001, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.dhule@maharashtra.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-धुले,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक, नवनाथ नगर,
धुले-424001, महाराष्ट्र
ई-मेल: sp.dhule@mahapolice.gov.in

विषय: अनावेदकों द्वारा आवेदक की पत्नी के साथ गाली-गलौच, मारपीट, बलात्कार करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने एवं आवेदक की भूमि मुक्त करने के संबंध में श्री अभिषेक नाना पारधी व अन्य, निवासी-म्हसाले, तालुका-साक्री, जिला-धुले, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 30.03.2026 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 06.04.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 15.06.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री अभिषेक नाना पारधी,
निवासी-म्हसाले, तालुका-साक्री,
जिला-धुले, महाराष्ट्र
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

ई मेल /e-mail : ro-bhopal@ncst.nic.in
टेलीफैक्स/Telefax : 0755 2576530
0755 2578272

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission For Scheduled Tribes
भारत सरकार
Government of India
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court Under Article 338A of the Constitution of India)
(मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)
(REGIONAL OFFICE FOR M.P. MAHARASHTRA KARNATAKA KERALA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)

कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011
Room No. 309, Nirman Sadan, C.G.O. Bldg., 52-A, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal - 462011

नोटिस

फा. सं.: NCST/ATY-3874/MH/782/2026-RO-BH/RU-I

दिनांक: 06/04/2026

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
कलेक्टर कार्यालय,
नई प्रशासकीय इमारत,
जिला - धुले, महाराष्ट्र- 424001
Email Id: rdc.dhule@maharashtra.gov.in

2. पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
नवनाथ नगर,
जिला- धुले, महाराष्ट्र- 424001

विषय: **श्री अभिषेक नाना पारधी व अन्य, निवासी म्हसाले, ता. साक्री, जिला धुले (महाराष्ट्र) - अनावेदकों द्वारा आवेदक की पत्नी के साथ गाली-गलौच, मारपीट, बलात्कार करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने एवं आवेदक की भूमि मुक्त करने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री अभिषेक नाना पारधी से दिनांक 30/03/2026 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **07 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है ।

(अंकित कुमार सेन/Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री अभिषेक नाना पारधी
निवासी म्हसाले, ता. साक्री,
जिला धुले (महाराष्ट्र).
Mobile No:9834827834

Office of the Director, National Commission for Sch. Tribes, Bhopal
प्रेषण संख्या / Issue No. 594 95 96
दिनांक / Date 08/04/26

ई मेल /e-mail : ro-bhopal@ncst.nic.in
टेलीफैक्स/Telefax : 0755 2576530
0755 2578272

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission For Scheduled Tribes

भारत सरकार
Government of India

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court Under Article 338A of the Constitution of India)
(मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)
(REGIONAL OFFICE FOR M.P. MAHARASHTRA KARNATAKA KERALA GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)
कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011
Room No. 309, Nirman Sadan, C.G.O. Bldg., 52 A, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal - 462011

<u>स्मरण पत्र</u>

फा. सं.: NCST/ATY-3874/MH/782/2026-RO-BH/RU-I

दिनांक: 11/05/2026

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
   कलेक्टर कार्यालय,
   नई प्रशासकीय इमारत,
   धुले, महाराष्ट्र 424001
   Email Id: rdc.dhule@maharashtra.gov.in

2. पुलिस अधीक्षक
   पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
   नवनाथ नगर,
   धुले, महाराष्ट्र 424001

विषय: श्री अभिषेक नाना पारधी व अन्य, निवासी म्हसाले, ता. साक्री, जिला धुले (महाराष्ट्र) - अनावेदकों द्वारा आवेदक की पत्नी के साथ गाली-गलौच, मारपीट, बलात्कार करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने एवं आवेदक की भूमि मुक्त करने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन।

संदर्भ: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक : 06-04-2026

महोदय/महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर एन.सी.एस.टी. के समसंख्यक नोटिस/पत्र दिनांक 06-04-2026 के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ हैं कि प्रकरण में तथ्य एवं टिप्पणियॉं अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 03 दिनों के भीतर, प्रकरण में तथ्य एवं टिप्पणियॉं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) को डाक, वैयक्तिक रूप से या अन्य संचार माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि आयोग को निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अंतर्गत प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपकी या आपके प्रतिनिधि की, आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित के लिए <u>'समन'</u> जारी कर सकता है ।

<u>संलग्न यथोपरि.</u>

o/c

(अंकित कुमार सेन/Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-
श्री अभिषेक नाना पारधी,
निवासी म्हसाले, ता. साक्री, जिला धुले (महाराष्ट्र),
Mobile No:9834827834

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल
Office of the Director, National Commission for Sch. Tribes, Bhopal
प्रेषण संख्या / Issue No.
दिनांक / Date 12/05/26